20-04-2024

राज्य द्वारा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त नवीन रतन अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त नवीन की उपस्थिति हेतु नियत हैं।

प्रकरण माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा **कार्यालयीन आदेश कं0–C/299/III-1-5/57 जबलपुर दिनांकित 09.01.2024** व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के **कार्यालयीन ज्ञापन कं0– 155 (1–15–2)7 सागर, दिनांकित 10.01.2024** के पालन में प्रकरण सूचीबद्ध प्रकरणों के अंतर्गत शामिल किये जाने प्रकरण का निराकरण, प्रकरण के **तृतीय चरण** के अंतर्गत होने से **दिनांक 01.07.2024** तक प्रकरण का निराकरण आवश्यक रूप से किया जाना है।

प्रकरण में अभियुक्त नवीन को जारी **गिरफतारी वारंट** अदम इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि उक्त वारंटी दिये गये पते पर नहीं पाया गया उसकी मां ने बाया कि वह बाहर चला गया है, वहां कहां चला गया कोई पता नहीं, आसपास के लोगों से पूछने पर भी उसका कोई पता नहीं होना बताया गया। उक्त टीप के समर्थन में तश्दीक पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। तामील कुनिन्दा साक्षी **भगवतशरण कारौलिया** उपस्थित।

उक्त तामील के समर्थन में तामील कुनिन्दा श्री भगवत शरण कारौलिया के **फरारी कथन** अंकित किये गये तथा अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट के साथ संलग्न तश्दीक नामा प्रदर्शित कराये गये। जिसके अनुसार पंचान साक्षी अनिल व कमलेश अहिरवार द्वारा बताया है कि अभियुक्त वहां कई वर्षों से निवासरत् नहीं है, उसकी मां से पूछा तो उसने बताया कि वह कहां चला गया है पता नही हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध **धारा–138 एन0आई0एक्ट** के अपराध का अभियोग पत्र उसकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभियुक्त नवीन रतन को दिनांक 13.04.2024 को जर्ये गिरफतारी वारंट से आहुत किया गया था, परंतु अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित नहीं हो रही है और प्रत्येक तारीख पेशी पर जारी वारंट भी अदम तामील वापस प्राप्त हो रहा है। उक्त आदेशिकाओं में अभियुक्त का दिये गये पते पर न होने की टीप अंकित है जिसके संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त के आस–पडोस के लोगों ने प्र.सी–1 के अनुसार तश्दीक पंचनामा दिया गया है, उक्त संबंध में रोजनामचा सान्हा की प्रति भी प्रस्तुत, जिस पर संदेह करने का कोई कारण विद्यमान नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय का यह समाधान होता है कि अभियुक्त नवीन रतन **फरार** हो गया है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त **नवीन रतन** को **फरार घोषित** किया जाता है। अभियुक्त नवीन के विरूद्ध **स्थाई गिरफतारी वारंट** जारी किया जावे तथा उक्त संबंध में आदेश पत्रिका के हासिये तथा संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टी की जावे। उक्त स्थाई **गिरफतारी वारंट** पर **लाल स्याही** से यह टीप अंकित की जावे कि

अभियुक्त नवीन के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध में उसकी प्रथम उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई है।

अभियोजन से **दप्रस की धारा 299** के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में पूछे जाने पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया गया। अभियुक्त नवीन के विरूद्ध द0प्र0सं0 की **धारा 82 तथा 83** के अंतर्गत उदघोषणा तथा कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

प्रकरण के **शीर्ष पर अभियुक्त नवीन रतन पुत्र सोहन रतन प्रो0 पुष्पांजली नर्सरी निवासी–कांची होटल के पीछे सिविल लाईन जिला सागर म0प्र0** के फरार होने व प्रकरण को सुरक्षित रखे जाने बाबत प्रकरण पर टीप अंकित की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सुरभि सिंह सुमन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर
जिला सागर म0प्र0